

मि.सं. ए-12012/2/2021-प्रशा.-I

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

छठा तल, 'ए'-विंग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 16.03.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की संशोधित चेकलिस्ट/सूची के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले आवेदकों को कतिपय मानकों के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए मेरिट प्वाइंट सिस्टम इस मंत्रालय के दिनांक 28.02.2022 के “सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुकंपा स्कीम के तहत चयन के लिए अनुकंपा नियुक्ति - सापेक्ष योग्यता बिंदु आधारित प्रणाली और संशोधित प्रक्रिया के लिए स्कीम” संबंधी विषय पर जारी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन किया गया था।

2. यह पाया गया है कि दिनांक 28.03.2022 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों में दो दस्तावेज चूकवश सूचीबद्ध / शामिल नहीं किए गए थे अर्थात् अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा स्व-सत्यापित मृतक सरकारी कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति और परिवार के सभी अन्य आश्रित सदस्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)। इसलिए, एतद्वारा, उपरोक्त चेकलिस्ट को उक्त सूची में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा मृतक सरकारी कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति और परिवार के अन्य सभी आश्रित सदस्यों द्वारा आवेदक को नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को शामिल करने हेतु संशोधित किया जाता है।

3. इस मंत्रालय के अंतर्गत मीडिया ईकाइयों/प्रशासनिक अनुभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मंत्रालय में विचार के लिए उनके द्वारा अग्रेषित अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हैं और आवेदन (आवेदनों) के साथ संशोधित चेकलिस्ट (प्रतिलिपि संलग्न) में सूचीबद्ध

दस्तावेज आवेदन के साथ उचित क्रम में, संलग्न हैं जिसके न होने पर आवेदन (आवेदनों) को पूरा करने/ कमियों को हटाने के लिए और ऐसे आवेदन (आवेदनों) को मंत्रालय में अगली समिति द्वारा विचार के लिए अग्रेषित करने हेतु वापस किया जा सकता है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि



(प्रसून कुमार झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23384990

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:

i. सीईओ प्रसार भारती	प्रसार भारती में कार्यरत आईआईएस, सीएसएस,
ii. डीजी: डीडी/ डीजी: एआईआर	सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्ग के कर्मचारियों के संबंध में

iii. मंत्रालय की सभी मीडिया यूनिटों (एनएफडीसी/बेसिल/पीसीआई को छोड़कर)

iv. मुख्य सचिवालय में प्रशा. III/IV, आईआईएस अनुभाग

v. आरटीआई अनुभाग को आरटीआई पोर्टल पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि (सूचना के लिए) प्रेषित:

मुख्य सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारी (ई-ऑफिस के माध्यम से)

उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाए।

आवेदन के साथ आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले कार्यालयों/दस्तावेजों के लिए संशोधित चेकलिस्ट:

- i. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन (अनुलग्नक-II/III)
- ii. आवेदक द्वारा मृतक सरकारी कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति
- iii. आयु प्रमाण के लिए वैध दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड (जन्म की पूरी तारीख दर्शाते हुए), दसवीं का प्रमाण पत्र, पीपीओ पत्र, कोई अन्य वैध सरकारी दस्तावेज आदि)
- iv. मृतक/चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार की वार्षिक आय के दावे के समर्थन के लिए आय प्रमाण पत्र/हलफनामा (मूल रूप में) की स्व-सत्यापित प्रति ।
- v. आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए परिवार के अन्य सभी आश्रित सदस्यों से हलफनामा / अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
- vi. आश्रित, जिसका नाम/विवरण मृतक/चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के कार्यालय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, के नाम को शामिल करने के लिए वैध प्रमाण के साथ मूल रूप में हलफनामा ।
- vii. संस्थान/प्रतिष्ठित बैंक से जारी प्रमाण पत्र/ऋण स्वीकृति पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जहां से मृतक सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति से पहले ऋण लिया था और कर्मचारी की मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय भुगतान की जा रही कटौतियां और भुगतान किए जाने के लिए शेष धनराशि को दर्शाने वाला बैंक विवरण।
- viii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
- ix. जहां कर्मचारी अपनी मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति से पहले काम कर रहा था, उस कार्यालय द्वारा फील्ड सत्यापन रिपोर्ट ।
- x. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन अग्रेषित करने वाले कार्यालय द्वारा प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) [अनुलग्नक-IV]